

कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

प्रपत्र "ब"

गिराने का नोटिस

दिनांक 22/01/17

आवक सं- 112 /अवकाश/प्र.जीन-3/17-18

श्री/श्रीमती/से

श्री. वसन्त
इन्दिरा एम्बलेन, सदरपुर रोड,
गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (असासोपित-1997) की धारा-27 के अन्तर्गत निर्माण के गिराने का नोटिस।

चूंकि प्लान द्वारा लगभग 130 वर्ग मीटर भूखण्ड में मूल, प्रथमताल पर दो कमरे, बरामदा, किचन, आदि व द्वितीयताल पर एक कमरा, बरामदा, किचन आदि का निर्माण कार्य। फिनिशिंग कार्य जारी। नीचे पर स्केचूट मानचित्र नहीं दिखाया गया। जो इन्दिरा एम्बलेन, सदरपुर रोड, गाजियाबाद पर स्थित है। निर्माण प्रारम्भ कर दिया है /करा रहे है /पूरा कर लिया गया है।

और चूंकि आपको इस मामले की सुनवाई के लिए तथ्य कारण बताने के लिए कि उपरोक्त निर्माण गिराने के आदेश क्यों न कर दिये जायें, पूर्ण अवसर दिनांक 11.09.2017 को दिया गया था और चूंकि आप इस प्रकार के आदेश के जारी होने के विरुद्ध कोई कारण/वजह सतिसन्तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

अब आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त तामीर इस आदेश की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर गिरा दें। अन्यथा यह कार्यालय स्वयं इस तामीर को गिरा देना तथा इसे गिराने में हुए खर्च की वसूली आप से बतौर बकाया मातगुजारी की जायेगी।

हस्ताक्षर अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।